**चेक लिस्ट संख्या 10 – स्वामी के पंजीकृत पते में परिवर्तन**

| **क्रम संख्या** | **आवश्यकताएँ** |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | स्वामी का अधिकृत व्यक्ति (कंपनी सचिव के पद से कम नहीं) बिना किसी देरी के पते में परिवर्तन की जानकारी रजिस्ट्रार (और यदि कोई गिरवी रखने वाले बैंक हों तो उन्हें भी) को देगा। |  |
| **2** | इस प्रकार के परिवर्तन को अनुमोदित करने वाले न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति (यदि अंतर-राज्यीय हो) या **INC-22** (यदि राज्य के भीतर हो) की पंजीकृत प्रति। |  |
| **3** | कंपनी के पते में परिवर्तन के संबंध में सभी गिरवी बैंकों से रजिस्ट्रार ऑफ शिप्स को संबोधित "कोई आपत्ति नहीं" पत्र। |  |
| **4** | पंजीकृत पते में परिवर्तन के संबंध में कंपनी सचिव या कम से कम दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित मूल बोर्ड प्रस्ताव। |  |
| **5** | कंपनी के स्वामित्व वाले सभी पोतों के नाम प्रस्तुत करने हैं। (v) प्रत्येक पोत के लिए MMD द्वारा प्रमाणित अंतिम कमांड परिवर्तन की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। |  |
| **6** | MMD द्वारा प्रमाणित अंतिम कमांड परिवर्तन की प्रति और मास्टर का प्रमाण पत्र (CoC)। |  |
| **7** | यह शपथ-पत्र कि नया परिवर्तित रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर मौजूदा रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र रद्द करने के लिए जमा कर दिया जाएगा। |  |
| **8** | ₹1000/- की भारत कोष भुगतान रसीद। |  |

**📌 रजिस्ट्रेशन परिवर्तन – अन्य संबंधित विषय**

| **क्रम संख्या** | **अतिरिक्त शर्तें** |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | यदि हस्तांतरण दिवालियापन के कारण है, तो 'हस्तांतरण की घोषणा' के साथ उस दावे का उचित प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है। |  |
| **2** | यदि हस्तांतरण मृत्यु के कारण है, तो 'हस्तांतरण की घोषणा' के साथ उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, वसीयत का प्रमाणपत्र या 1925 का भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रशासन पत्र अथवा उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न होनी चाहिए। |  |
| **3** | यदि ऐसे स्थानांतरण के कारण जहाज अब भारतीय जहाज नहीं रहता है, तो DG को तत्काल सूचित किया जाना चाहिए ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके जैसे कि 60 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय का रुख करना आदि। |  |

**टिप्पणी:** चेकलिस्ट के अनुसार संलग्न / संलग्न किसी भी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी केवल कंपनी के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और मुहरबंद होनी चाहिए। उपर्युक्त प्रमाणीकरण और मुहर के बिना, इस कार्यालय द्वारा कोई दस्तावेज़ स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यदि आप इसे PDF के रूप में चाहते हैं, तो कृपया बताएं — मैं आपको तुरंत तैयार करके दूंगा।